

**न्यायालय—श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)**

आप. प्रक. क.—204 / 2016

संस्थित दिनांक—10.03.2016

फाइलिंग नं.—234503003272016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—परसवाड़ा,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

यासीन खान पिता युसुफ खान उम्र—38 साल,
निवासी बीजाटोला थाना परसवाड़ा जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक—12 / 07 / 2016 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—452, 354 एवं 507 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—14.02.2016 को रात्रि 10:30 बजे थाना परसवाड़ा अंतर्गत बीजाटोला में फरियादी मीना राउत के रहवासी मकान में फरियादी को उपहति कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार किया तथा फरियादी मीना राउत जो कि एक स्त्री है की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा फरियादी को फोन पर जान से मारने की धमकी देकर अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास कारित किया गया।

2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी मीना राउत ने दिनांक 15.02.2016 को पुलिस थाना परसवाड़ा आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 14.02.2016 को रात्रि 10:30 बजे अपने घर में अपनी पुत्री के साथ वह टी0वी0 देख रही थी, उसी समय आरोपी यासीन खान उसके घर में आया और कहने लगा कि वह उससे मोबाईल पर बातें क्यों नहीं करती। आरोपी ने उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया तो वह अपना दाहिना हाथ छुड़ाकर घर के पीछे की तरफ भागी और अपने सास और देवर को घटना के विषय में बताया। आरोपी उसे मोबाईल पर फोन करके कहता था कि वह उसके कारण शादी नहीं कर रहा है और उसे जान से मारने की धमकी देता था। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक 13 / 16 अंतर्गत धारा 452, 354, 507 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा फरियादी/आहत मीना राउत का मेडिकल परीक्षण कराया। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण

विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-452, 354, 507 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत मीना राउत ने आरोपी से राजीनामा कर लिया, परंतु शमनीय प्रकृति की धारा न होने से राजीनामा आवेदन पत्र निरस्त किया गया। आरोपी द्वारा अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-452, 354 एवं 507 के अंतर्गत किये जाने से आरोपी का विचारण पूर्ण किया गया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फँसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-14.02.2016 को रात्रि 10:30 बजे थाना परसवाड़ा अंतर्गत बीजाटोला में फरियादी मीना राउत के रहवासी मकान में फरियादी को उपहति कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार किया ?
2. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी मीना राउत जो कि एक स्त्री है की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया
3. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी को फोन पर जान से मारने की धमकी देकर अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास कारित किया गया।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01, 02 एवं 03 का निष्कर्ष :-

5— सुविधा की दृष्टि से साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के आशय से तीनों विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6— अभियोजन साक्षी मीना राउत(अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी यासीन को जानती है। घटना उसके बयान से लगभग पांच माह पूर्व की है। आरोपी से घर के बाहर उसका वाद-विवाद हुआ था, जिसके विषय में उसने पुलिस थाना परसवाड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो कि प्र.पी.01 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.02 उसकी निशादेही पर बनाया था जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया था और उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था। साक्षी ने यह भी कहा है कि उसका आरोपी से न्यायालय के बाहर राजीनामा हो गया है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न

पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि दिनांक 14.02.2016 को आरोपी उसके घर में घुस आया था और आरोपी ने उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया था। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि उसने उपरोक्त बात अपनी रिपोर्ट में लेख कराई थी अथवा उसके पुलिस कथन प्र.पी.03 में पुलिस को बताई थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से मामूली वाद-विवाद हुआ था।

7— भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 के अपराध के संबंध में फरियादी मीना राउत(अ.सा.1) के न्यायालयीन परीक्षण में ऐसा कोई भी तत्व प्रकट नहीं हो रहा है जिससे यह धारणा की जा सके कि आरोपी ने फरियादी मीना की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया हो। फरियादी मीना राउत ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि उसका आरोपी से घर के बाहर मामूली वाद-विवाद हुआ था। उपरोक्त स्थिति में यह भी नहीं माना जा सकता कि आरोपी ने तैयारी के साथ फरियादी के घर में घुसकर गृह अतिचार कारित किया। अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी फरियादी को फोन पर धमकी देता था परन्तु न्यायालयीन परीक्षण में फरियादी ने आरोपी के द्वारा जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये है। इस आधार पर अनाम संसूचना के आधार पर आरोपी द्वारा फरियादी को आपराधिक अभित्रास कारित करना प्रमाणित नहीं हो रहा है। अतः आरोपी के द्वारा अंतर्गत धारा 507 का अपराध किया जाने का तथ्य प्रकट नहीं हो रहा है। अतएव आरोपी यासीन खान को संदेह का लाभ दिया जाकर भारतीय दण्ड संहिता की धारा— 452, 354 एवं 507 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

8— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीष कौलाश शुक्ल)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(श्रीष कौलाश शुक्ल)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट